न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री चन्द्रभानसिंह भाटी, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 48/2019
GCMS Case No. 2019/00173

सायल :– सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक पाली

बनाम

गैरसायलः– श्री वीरमराम पुत्र श्री नारूजी जाति गुर्जर निवासी खारची पुलिस थाना मारवाड जंक्शन जिला पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(1)3/5 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :
सायल की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी पाली
गैर सायल की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश मकवाना उपस्थित।

:: निर्णय ::

दिनांक :– 22.06.22

सायल की ओर से दिनांक 12.09.2019 को गैरसायल श्री वीरमराम पुत्र श्री नारूजी जाति गुर्जर निवासी खारची पुलिस थाना मारवाड जंक्शन जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(1)3/5 के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना मारवाड जंक्शन जिला पाली का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ वर्ष 1994 से प्रकरण पेश करने तक कुल 19 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	मु0न0एवं दिनांक	धारा	न्यायालय निर्णय	न्यायालय का नाम
01	08/24-01-1994	धारा 341,323 भा.द.स	18-10-1995 पीओ एक्ट के तहत प्रताडना	जेएम कोर्ट मा0ज0
02	140/27-10-95	धारा 366,380 भा.द.स व 3(11)(12) एससी/एसटी	23-06-1997 को बरी	एससी/एसटी कोर्ट पाली
03	107/11-7-99	धारा 341,323/34 भादस	सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त	जे एम कोर्ट मा0ज0
04	116/4-8-1999	धारा 451,323,327 भादस	जैर ट्रायल	जे एम कोर्ट मा0ज0
05	87/16-06-2004	धारा 19/54 आबकारी अधि	13.06.2005 को 100 रूप्ये जुर्माना व 2000 रूपये जमानत मुचलके पर पाबंद	जे एम कोर्ट मा0ज0
06	177/17-10-2006	धारा 19/54 आबकारी अधि	जैर ट्रायल	जे एम कोर्ट मा0ज0
07	70/16-04-2009	धारा 19/54 आबकारी अधि	17.01.2014 को सजा	जे एम कोर्ट मा0ज0
08	175/20-03-2009	धारा 19/54 आबकारी अधि	08.04.2009 को 50 रूपये जुर्माना	जे एम कोर्ट मा0ज0
09	12/2009	धारा 19/54 आबकारी अधि	08.04.2009 को 250 रूपये जुर्माना	जे एम कोर्ट मा0ज0
10	38/17-03-2010	धारा 19/54 आबकारी अधि	जैर ट्रायल	जे एम कोर्ट मा0ज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

क्र. स.	मु0न0एवं दिनांक	धारा	न्यायालय निर्णय	न्यायालय का नाम
11	15/25-01-2011	धारा 19 / 54 आबकारी अधि	25.02.2014 को 200 रूपये जुर्माना	जे एम कोर्ट मा0ज0
12	38/2-3-2011	धारा 336,332,353 भादस	15.02.2012 को बरी	जे एम कोर्ट मा0ज0
13	159/1-7-2014	धारा 341,323 भादस	जैर ट्रायल	जे एम कोर्ट मा0ज0
14	34/26-01-2015	धारा 19 / 54 आबकारी अधि	जैर ट्रायल	जे एम कोर्ट मा0ज0
15	241/06-10-2016	धारा 341,323,354,327 भादस व 3(1)(आर)(एस)(यु)(डब्ल्यु)3(2)(5ए)एससी / एसटी एक्ट	जैर ट्रायल	एससी / एसटी कोर्ट पाली
16	259/2-9-17	धारा 19 / 54 आबकारी अधि	जैर ट्रायल	जे एम कोर्ट मा0ज0
17	51/27-02-2018	धारा 19 / 54 आबकारी अधि	जैर ट्रायल	जे एम कोर्ट मा0ज0
18	232/02-10-2018	धारा 19 / 54 आबकारी अधि	जैर ट्रायल	जे एम कोर्ट मा0ज0
19	174/04-07-2019	धारा 19 / 54 आबकारी अधि	जैर ट्रायल	जे एम कोर्ट मा0ज0

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल श्री वीरमराम पुत्र श्री नारूजी जाति गुर्जर निवासी खारची पुलिस थाना मारवाड जंक्शन जिला पाली अवैध शराब के धंधे में लिप्त है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृति में लिप्त है। जो आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2(ख)(1)3/5राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद / सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना / परिवाद की तामिल करवाई गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना मारवाड जंक्शन, जिला पाली का अव्वल दर्जे का बदमाश है, जिससे विरूद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरूद्ध सूचना देने में भी कतराते है, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन अपराधी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

गैर सायल अधिवक्ता ने वक्त बहस जवाब पेश करते हुए कथन किया कि गैर सायल के विरूद्ध समस्त प्रकरण पुराने है, 19 प्रकरण में से 10 प्रकरण विचाराधीन है 3 प्रकरणों में गैर सायल बरी हुआ है, मात्र 03 प्रकरणों में जुर्माना अधिरोपित किया गया है, जो आबकारी अधिनियम से संबधित है। वर्तमान में उसके खिलाफ कोई नया प्रकरण दर्ज नही है एवं आम जीवन बसर कर रहा है तथा मजदूरी कर के अपने परिवार का लालन पालन कर रहा है, वह अब किसी भी प्रकार के अवैध शराब के धंधे में लिप्त नहीं है। अतः उसके विरूद्ध पेश इस्तगासा खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोजत सिटी के मुकदमा नम्बर 573/2009 में दिनांक 13.01.2017 को आदेश पारित करते हुए राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 500/– आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया। इसी प्रकार माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग मा0ज0 के प्रकरण संख्या 352/2009 में दिनांक 17.01.2014 आदेश पारित करते हुए राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 300/– आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया। इसी प्रकार माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग मा0ज0 के प्रकरण संख्या 535/11 में दिनांक 25.02.2014 आदेश पारित करते हुए राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 200/– आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया। इसी प्रकार माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग मा0ज0 के प्रकरण संख्या 394/10 में दिनांक 24.02.2015 आदेश पारित करते हुए राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 1000/– आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(1)3/5 के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल वीरमराम पुत्र श्री नारूजी जाति गुर्जर निवासी खारची पुलिस थाना मारवाड जंक्शन जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत दो माह की अवधि के लिए पुलिस थाना मारवाड जंक्शन जिला पाली से निष्कासित कर पुलिस थाना बाली, जिला पाली के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 07.07.22 से 30 दिन के लिये पुलिस थाना बाली, जिला पाली में सप्ताह में एक बार अर्थात 60 दिन में आठ बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी बाली, जिला पाली गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल वीरमराम पुत्र नारू इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना मारवाड जंक्शन जिला पाली, गैरसायल वीरमराम पुत्र नारू को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना बाली जिला पाली जिला पाली की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी बाली उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी मारवाड जंक्शन जिला पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना मारवाड जंक्शन एवं थानाधिकारी बाली, जिला पाली को भिजवाई जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 22.06.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली